

सं०सं०:- 456/898

ग्रा०वि०-5/प्र०आ०यो०-(ग्रा०आ० कर्मि)-102-18/2025

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक:- 04/07/2025

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण तथा इन कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद में प्राप्त राशि अपर्याप्त होने पर इसे राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 01 अप्रैल, 2016 से आवास विहीन/कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को आवास निर्माण हेतु 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रशासनिक मद की राशि को 4 प्रतिशत से घटाकर 1.7 प्रतिशत किया गया है ।

2. विभागीय संकल्प संख्या-165209 दिनांक 03.10.2013 के आलोक में इंदिरा आवास योजना के अनुश्रवण, लाभुकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक एवं कार्यपालक सहायक का नियोजन वित्तीय वर्ष 2013-14 में किया गया था । साथ ही साथ प्रत्येक जिला स्तर पर एक प्रोग्रामर की सेवा बेल्ट्रॉन से ली गई है । वर्तमान में 5,730 ग्रामीण आवास सहायक, 430 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक तथा ब्लॉक एकाउंटेंट एवं ग्रामीण आवास (लेखा सहायक) को मिलाकर 346 कर्मि कार्यरत हैं । राज्य के 16 जिलों में प्रोग्रामर कार्यरत हैं तथा करीब 800 कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं ।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित अन्य राज्य प्रायोजित आवास योजनाएँ यथा:-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल कय सहायता योजना अंतर्गत आवासों की जाँच, लाभुकों को आवास निर्माण हेतु प्रेरित करने सहित अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है ।

4. योजना अंतर्गत प्रशासनिक मद की राशि से संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक दायित्वों का भी भुगतान किया जाता है ।

5. ग्रामीण आवास कर्मियों यथा-ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक(ग्रामीण आवास), प्रोग्रामर एवं कार्यपालक सहायक के वर्तमान मानदेय के आधार पर ई०पी०एफ० सहित मासिक व्यय 13.85 करोड रुपये है । इसमें वृद्धि किये जाने के पश्चात ई०पी०एफ० सहित मासिक व्यय लगभग 16 करोड रुपये का व्यय अनुमानित है । इस प्रकार इन कर्मियों के मानदेय वृद्धि के पश्चात 2.15 करोड रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा । योजना के प्रशासनिक मद में राशि कम विमुक्त होने के कारण संबंधित कर्मियों के मानदेय का भुगतान लंबित रहता है । इन कर्मियों के मानदेय का भुगतान लंबित रहने के कारण योजना के अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।



6. प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण आवास कर्मियों यथा—ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल/लेखा सहायक(ग्रामीण आवास) के मानदेय में वृद्धि किये जाने की अनुशंसा बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी(BRDS) के सामान्य परिषद् की बैठक में दिनांक 11.07.2025 को प्राप्त है ।

7. उपर्युक्त के आलोक में निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण सहित अन्य आवास योजना के अनुश्रवण हेतु कार्यरत आवास कर्मियों यथा—ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखंड लेखापाल/लेखा सहायक(ग्रामीण आवास) के मूल मानदेय में 25 प्रतिशत, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के मूल मानदेय में 20 प्रतिशत, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी(PMAY-G) के मूल मानदेय में 10 प्रतिशत (अनुलग्नक-1) के अनुसार वृद्धि किया गया है ।

(ख) इन कर्मियों सहित प्रोग्रामर एवं कार्यपालक सहायक के नियमित मानदेय भुगतान हेतु योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद में प्राप्त राशि अपर्याप्त होने पर इसे राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किया जायेगा ।

8. इस पर दिनांक 02.09.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या— 40 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नोकेश कुमार सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 456/898 पटना, दिनांक:- 04/09/2025

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0-(ग्रा0आ0 कर्मी)-102-18/2025

प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 456/898 पटना, दिनांक:- 04/09/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 4561898 पटना, दिनांक:- 04/09/2025

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष -सह-सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी(BRDS), पटना /सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 4561898 पटना, दिनांक:- 04/09/2025

प्रतिलिपि:- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 4561898 पटना, दिनांक:- 04/09/2025

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

अनुलग्नक:-1

1. ग्रामीण आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण आवास कर्मियों के मानदेय वृद्धि संबंधी विवरणी:-

क्र. सं.	पदनाम	वर्तमान में प्राप्त मूल मानदेय	वर्तमान में भत्ते सहित प्राप्त कुल मानदेय	मूल मानदेय में प्रस्तावित वृद्धि प्रतिशत में	मूल मानदेय में वृद्धि राशि में	प्रस्तावित वृद्धि के उपरांत मूल मानदेय	प्रस्तावित वृद्धि के उपरांत भत्ते सहित प्राप्त कुल मानदेय
1.	ग्रामीण आवास सहायक	9500	16540	25%	2375	11875	19675
2.	प्रखंड लेखापाल	12260	21183	25%	3065	15325	25229
3.	ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक	16100	26252	20%	3220	19320	30502
4.	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी	79350	107220	10%	7935	87285	116742


04/9/2025